प्रैस विज्ञप्ति

श्री अंकुर गुप्ता, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार हरियाणा राज्य की सभी 90 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को 01.01.2017 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर इनका विशेष संक्षित पुनरीक्षण किया जा रहा है। इन सूचियों का ड्राफट प्रकाशन दिनांक 01.10.2016 को सभी प्रकाशन केन्द्रों पर किया जाना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21.09.2016 को एक बैठक का आयोजन किया जिसमें निम्नलिखित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया:-

Sr. No.	Name of the representative and Party affiliated
1	Sh. Kapil Malhan, Indian National Lokdal
2	Sh. Vishal Seth, Bhartia Janata Party
3	Dr. Balbir Singh, Bahujan Samaj Party
4	Dr. Ashok Tanwar, Indian National Congress

अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग में सम्मिलित पार्टी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम से अवगत करवाया । जिसकी प्रति सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मीटिंग के दौरान उपलब्ध करवा दी गई । मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार से है:-

S.No.	Stages of Revision	Period allowed for Stage
1.	Draft Publication of Electoral Rolls	01.10.2016 (Saturday)
2	Period for filing of claims & objections	01.10.2016 (Saturday) to 31.10.2016 (Monday)
3	Reading of relevant part/Section of Photo Electoral Rolls in Gram Sabha/ Local Bodies and RWA meetings etc. and verification of names.	07.10.2016 (Friday) and 14.10.2016(Friday)
4	Special Campaign dates with Booth Level Agents if Political Parties for receiving Claims and Objections	16.10.2016 (Sunday) and 23.10.2016 (Sunday)
5	Disposal of Claims and Objections	By 30.11.2016 (Wednesday)
6	Updating the database, merging of photographs, updating the Control Tables and preparation and printing of supplementary list .	By 24.12.2016 (Saturday)
7	Final Publication of Electoral Rolls	10.01.2017 (Tuesday)

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2017 के विशेष पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश मतदाता सूची

को शुद्ध तथा त्रुटि रहित तैयार किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल करने तथा वर्तमान मतदाता सूची से मृतक/स्थान छोड़कर चले गये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने व यदि किसी के नाम इत्यादि में कोई अशुद्धि है तो वह सभी दिनांक 01.10.2016 से 31.10.2016 तक अपना दावा अपने नजदीकी बी.एल.ओं./निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित प्रोफार्मा फार्म नं0 6, फार्म नं0 7, फार्म नं0 8 व फार्म नं0 8ए में अपना आवेदन अवश्य करें । अप्रवासी भारतीय अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु फार्म नं0 6ए में आवेदन करेगें।

(2) अध्यक्ष महोदय ने सभी राजनैतिक दलों को बताया कि दिनांक 16.10.2016 तथा 23.10.2016 (रविवार) विशेष अभियान दिवस रहेगे । इस दिन सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने से सम्बन्धित सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करेगें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि सभी दल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल एजेंट अवश्य नियुक्त करें ताकि उन सभी के सहयोग से त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार हो सके।

(3) मीटिंग के दौरान इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान डा0 अशोक तंवर ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ की जाने वाली मीटिंग की सूचना सभी राजनैतिक दलों के मुख्यालय में भी दी जाए, ताकि जिला प्रतिनिधियों को मीटिंग में उपस्थित रहने के निर्देश पार्टी कार्यालय से जारी किये जा सके। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चल रही विडियों कान्फेन्स के दौरान निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के मुख्यालय में मीटिंग की सूचना अवश्य दी जाए।

(4) मीटिंग के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि राजनैतिक दलों को निशुल्क दी जाने वाली सी.डी. फोटोयुक्त मतदाता सूची वाली दी जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनके सुझाव को भारत निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके निर्णय लेने बारे कहा । राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्र में मतदाताओं को अधिक दूरी पर मतदान करने हेतु जाना पडता है, इसे सुविधा जनक बनाया जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभी वर्तमान में ही मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 889 नए

मतदान केन्द्रों की स्थापना के उपरान्त हरियाणा राज्य में कुल 17018 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है।

(5) राजनैतिक दलों को पूर्व व्यवस्थानुसार प्रारूप मतदाता सूची का एक-एक सैट प्रारूप प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात् मुद्रित तथा सोफट फार्म (सी.डी.) में उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को दिया जाएगा ।

(6) अध्यक्ष महोदय ने विडियो कॉन्फ्रैन्स के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों/सुपरवाईजरों को आवश्यक ट्रेनिंग देते हुए इस कार्य को समय पर सम्पन्न करवाएं । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी सभी राजनैतिक दलों से मीटिंग करके उनकी प्रोसिडिंग इस कार्यालय में भिजवाएंगे। आम जनता में इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार हेतु समय-2 पर प्रैस नोट जारी करके प्रैस कतरन रिकार्ड में रखने हेतु इस कार्यालय में भिजवाएगें। आम जनता के लिए उनसे सम्बन्धित मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ की जानकारी हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेब साइट www.ceoharyana.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। जिला स्तर पर सहायता केन्द्र की स्थापना भी की जाए। उन्होंने आम जनता से अपील की, कि वह इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। उन्होंने पुनः राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि वे बूथ लेवल एजेंट अवश्य नियुक्त करें ताकि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

CHIEF ELECTORAL OFFICER
HARYANA